15/3/18 पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावलियां अधिक होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 22/3/18 को पेश हो।

22/3/18 पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावलियां अधिक होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 5/4/18 को पेश हो।

5/4/18 पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावलियां अधिक होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 13/4/18 को पेश हो।

13/4/18 पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 13/7/18 को पेश हो। पुनश्च पत्रावली दि. 4/6/18 को कैम्प मूण्डला मे पेश हो।

4/6/18 पत्रावली लोक अदालत केम्प मूण्डला में पेश हुई। वादी का पुत्र हरगोविन्द प्रसाद मय अधिवक्ता उपस्थित। मजमें आम में उपस्थित होकर कथन किये कि ग्राम नयागांव तहसील दीगोद में पुरानें ख0नं0 63 मि0 की 6 बीघा भूमि दिनांक 10.07.76 को आवंटित हुई थी तथा मौके पर कब्जा संभला दिया गया था। तत्पश्चात् उक्त भूमि गैरखातेदारी में दर्ज कर दी गई। दौरानें सेटलमेंट पूर्व ख0नं0 63 मि0 के नवीन ख0नं0 127 रकबा 0.67 हे0 एवं ख0नं0 128 रकबा 0.11 हे0 भूमि कुल 0.78 हे0 भूमि वादी की गैरखातेदारी में दर्ज की गई, तत्पश्चात् केचमेंट में नवीन ख0नं0 398 रकबा 0.48 हे0, एवं ख0नं0 818 रकबा 0.25 हे0 कायम किये गये। गत रकबे के मुकाबले बाद सेटलमेंट वादी के खातें में करीब 1.5 बीघा भूमि कम दर्ज की जिसकी पूर्ति करते हुए भूमि पर वादी

0.73 हे. भूमि पर गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज किये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं

2.

रामहेत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज़ज	नम्बर जो ता
	को खातेदार घोषित किया जावें। मजमें आम में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया तथा वादी की समझाईश की गई। वादी द्वारा सहमति जाहिर की गई कि मौके पर 0.73 है0 भूमि हमारी गैर खातेदारी में दर्ज है, जिसे गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज कर दी जावें। उक्त सहमति प्रकट करनें पर वादी की ओर उपस्थित अधिवक्ता एवं पुत्र द्वारा आदेशिका पर लिखित सहमति अंकित की। वादी की ओर से प्रकट सहमति अनुसार वाद वादी स्वीकार योग्य है। परिणामतः वाद वादी लिखित सहमति तक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि ग्राम नयागांव अहीरान तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 398 रकबा 0.48 हे0 एवं ग्राम शोली तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 818 रकबा 0.25 हे0 भूमि के सम्बन्ध में, यदि वादी द्वारा आवंटन की शर्तो के मुताबिक सम्पूर्ण राशि जमा करा दी गई हो एवं मौके पर वादी का कब्जा हो तो नियमानुसार गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज की जावें। तद्नुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	